ऋण नीति

उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०

International Year of Cooperatives 2025

Cooperatives Build a Better World

1. पृष्ठ भूमिः—

उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के ऋण वितरण किया जा रहा है। ऋणों के वितरण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने हेतु एवं ऋणों की सुरक्षा के दृष्टिगत बैंक की लैंडिंग पालिसी बनायी जानी आवश्यक है , साथ साथ प्रोडेंशियल नार्म्स, जैसे—पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) एवं सख्त प्रोविजनिंग की आवश्यकता, के दिशा निर्देश लागू किये जाने के कारण बैंक के पास ऋण विषयक गतिविधियों के लिये प्रलेखित ऋण नीति का होना आवश्यक हो गया है। स्पष्ट है कि पूर्णतः परिभाषित ऋण नीति के अभाव में, बैंक प्रोडेंशियल नार्म्स के प्रतिकूल, ऋण समूहों के अनियंत्रित वृद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है।

बैंकिंग उद्योग के क्षेत्र में घटित हो रहे जटिल रूपान्तरण के कारण बैंक को अपनी आय में वृद्धि के साथ आस्तियों की गुणवत्ता बरकरार रखने के बारे में सचेत रहना नितान्त आवश्यक हो गया है। चूँकि लाभ अर्जन जोखिम लेने की क्षमता का प्रतिफल है। अतः बैंक को ऋण प्रदान करने की प्राथमिकता का विवेकपूर्ण चयन करना होगा ताकि अधिकतम लाभार्जन किया जा सके।

2. नीति का आच्छादित क्षेत्रः—

उक्त वर्णित पृष्ठभूमि के दृष्टिगत् उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 अपनी ऋण नीति का इस प्रकार विस्तार कर रहा है कि इसमें लैंडिंग के मूल तत्व, एक्सपोजर नार्म्स (सी0एम0ए0 नार्म्स),ऋणों का अप्रेजल, स्वीकृति पश्चात् अनुवर्तन एवं वसूली आदि का विस्तार से समावेश किया गया है। इस नीति के दिशा—निर्देश सभी प्रकार के ऋणों पर लागू रहेंगे।

ऋण नीति के दिशा—निर्देश नियामकों, जैसे— भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / आर0 सी0 एस0 या अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं द्वारा समय समय पर जारी दिशा—निर्देशों के अधीन रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर तद्नुरूप परिवर्तित माने जायेंगे।

3. नीति के उद्देश्यः—

1. बैंक के ऋण व्यवसाय को लाभप्रद बनाने हेतु ऋण वितरण करना तथा ऋणों की सुरक्षा करना।
2. ऋणों की गुणवत्ता पर ध्यान देना एवं बैंक का व्यवसायिक हित सुरक्षित रखना।
3. ऋणों की स्वीकृति से पूर्व एवं स्वीकृति पश्चात् बैंक के हित को सुरक्षित रखने हेतु मूल्यांकन करना।
4. ऋणों से होने वाले जोखिमों का प्रबन्धन करना।
5. विभिन्न नियामकों, सस्थाओं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / आर0सी0एस / उ0प्र0 सरकार / उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं अन्य रेग्यूलेटरी संस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा (IRAC) मानकों का पालन करना।

4. **एक्पोजर मानकः—**

नाबार्ड द्वारा निर्गत संदर्भ सं0—एनबी—डॉस—सी.एन / 768 / ए—75 / 2008—09) परिपत्र सं0—68 / डॉस—10 / 2008—09) दिनांक—12—05—2008 के माध्यम से, एक्सपोज़र नार्म्स शीर्ष सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित किये गये हैं) जिसके अनुसार ए रेटिंग वाले बैंक का अधिकतम एक्सपोजर रू0 60.00 लाख तक तथा बी रेटिंग वाले बैंक रू0 40.00 लाख तक और सी एवं डी रेटिंग वाले बैंक रू0 25.00 लाख तक का ऋण दे सकते हैं। वर्तमान में आडिट एवं निरीक्षण अनुभाग के महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में बैंक को नाबार्ड द्वारा ए रेटिंग प्रदान की गयी है, जिस कारण बैंक रू0 60.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत कर सकता है।

1. जिला सहकारी बैंकों को स्वीकृत किये जाने वाले कृषि ऋणों यथा—एसटी, एसएओ, एमटी ऋण आदि हेतु ऋण सीमा बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
2. कृषि क्षेत्र के ऋणों पर नाबार्ड के उक्त एक्सपोजर मानक लागू नहीं होंगे। एक समान लागू होंगे चाहे ऋणी इकाई सहकारी क्षेत्र से हो अथवा गैर सहकारी क्षेत्र से।
3. नाबार्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं0— संदर्भ सं0—एनबी—डॉस—सी.एन / 768 / ए—75 / 2008—09) परिपत्र सं0—68 / डॉस—10 / 2008—09) दिनांक—12—05—2008 में सेक्टरवार एण्ड इकाईवार तथा व्यक्तिगत ऋणों का एक्सपोजर इन्टरनल लेण्डबेल रिर्सोस के अनुसार होगा।
4. ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा नाबार्ड द्वारा बैंक को प्रदान की जाने वाली रेटिंग के अनुसार होगी।
5. कैपिटल फण्ड (CF) में पेडअप कैपिटल तथा फ्री रिजर्व शामिल रहेंगे। ऐसे रिजर्व जो आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन आदि से जनित हो, कैपिटल फण्ड में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। (सीएफ आडिटेड बैलेन्स शीट के अनुसार)
6. लैण्डेबल रिसोर्सेज (LR) की गणना शेयर कैपिटल, रिजर्व में प्रोविजन को सम्मिलित करते हुये तथा एग्रीकल्चरल क्रेडिट स्टेबिलाइजेशन फण्ड (ACSF) को घटाते हुये, डिपॉजिट तथा बॉरोयिंग से ऑप्टिमम लिक्विड एसेट (DTL का 35%) को घटाते हुये, फिक्सड एसेट, एक्यूमिलेटिड लॉसेज तथा ऋणों एवं अग्रिमों को छोड़कर दूसरे कमिटमेन्ट्स के योग से की जायेगी। **(आडिटेड बैलेन्सशीट के अनुसार)**
7. इण्डिविजुअल (Individual) शब्द में पार्टनर, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म, आदि जो कि नियमानुसार होंगे, सम्मिलित रहेंगे। एक्सपोजर में फण्डेड क्रेडिट लिमिट जैसे वर्किंग कैपीटल ऋण सीमा, मियादी ऋण आदि सम्मिलित रहेंगे। इसमें नॉन फण्डेड वित्तीय सुविधायें जैसे बैंक गारण्टी आदि भी शामिल की जा सकेंगी।
8. कैश क्रेडिट ऋण सीमा के मामले में स्वीकृत ऋण सीमा अथवा लगा ऋण जो भी ज्यादा हो, क्रेडिट एक्सपोजर माना जायेगा जबकि मियादी ऋण के मामले में लगा ऋण ही एक्सपोजर माना जायेगा। हालांकि, नॉन फण्डेड क्रेडिट सीमा के मामले में ऋण सीमा का 50 प्रतिशत अथवा लगा ऋण जो भी ज्यादा हो, क्रेडिट एक्सपोजर की श्रेणी में माना जायेगा।

9. ऐसे ऋणी जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फूड क्रेडिट आदि के प्रयोजन से सीधे ऋण सीमा जारी की गयी हो, को एक्सपोजर मानकों की सीमा से बाहर रखा जायेगा।
एक्सपोजर सीमा निम्न प्रकार होगीः–

निरीक्षण रेटिंग	इकाई–वार एक्सपोजर **CF** का **%**	सैक्टर–वार एक्सपोजर **LR** का **%**
A	60	50
B	50	40
C	45	35
D	40	30

10. व्यक्तिगत इकाई के वित्तपोषण के लिये अधिकतम सीमा नाबार्ड निरीक्षण के नवीनतम रेटिंग के अनुसार– (**A** रेटिंग केलिये रू0 60.00 लाख, **B** रेटिंग के लिये रू0 40.00 लाख तथा **C** व **D** रेटिंग के लिये रू0 25.00 लाख) होगी।
11. नाबार्ड द्वारा निर्धारित उक्त दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बाजार की स्थिति व ऋण जोखिम का संज्ञान लेते हुये तथा उचित व्यवसायिक निर्णय लेकर बैंक स्वविवेक से ऋण प्रदान करने का निर्णय लेगा, विशेषकर तब, जब बड़ी राशि का ऋण विचाराधीन हो। शुगर सेक्टर, एसटी, एसएओ आदि ऋणों को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में बैंक की प्रबन्ध समिति निर्णय लेगी। रिटेल/एमएसएमई/एफपीओ आदि ऋण बैंक द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होंगे।
12. विभिन्न कम्पनियाँ तथा फर्म जिनमें एक अथवा अधिक साझेदार/डाइरेक्टर उभयनिष्ठ **(Common)** हों तथा जो एक ही प्रकार के व्यवसाय जैसे–मैन्यूफेक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग आदि में सम्मिलित हों, को आपस में जुड़ा ग्रुप माना जायेगा तथा एक्सपोजर मानकों के अनुसार ऐसे ग्रुप को एकल ऋणी माना जायेगा। ऐसे मामलों में सिद्धान्ततः एक ही व्यक्ति के उभयनिष्ठ प्रबन्धन एवं वास्तविक नियंत्रण को आधार माना जायेगा।
13. हाउसिंग ऋण/टेकओवर हाउसिंग ऋण हेतु ऋण सीमा रू० 75.00 लाख होगी।

5. ऋण सीमायें

1. **अल्पकालीन फसली ऋण–ST-SAO/ADDL.ST-SAO)**

- बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को अल्पकालीन फसली ऋण सीमाओं (ST-SAO)/अतिरिक्त अल्पकालीन फसली ऋण सीमाओं (ST-SAO)/अल्पकालीन कैश एण्ड कैरी ऋण सीमाओं एवं एल0टी0आर0सी0एफ0 योजनान्तर्गत पुर्नवित्त (Refinance) समय–समय पर नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक/आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश तथा शीर्ष बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुसार बैंक स्तर से निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा। उक्तानुसार पुर्नवित्त (Refinance) पर ब्याजदर प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित ब्याजदर के अनुसार प्रभारित की जायेगी।

2. रिटेल लोन

ऋण नीति

उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०

- बैंक मुख्यालय स्तर से समय–समय पर रिटेल लोन हेतु निर्गत परिपत्र के अनुसार शाखाओं के स्तर से निम्न सीमाओं तक रिटेल लोन स्वीकृत किये जायेंगे, जिन्हें संशोधित किया जा सकेगा। रिटेल लोन हेतु ऋण सीमायें अधिकतम निम्नानुसार होंगीः–

क्र0 सं0	ऋण योजनाएं	अधिकतम ऋण की धनराशि (रू0 में)
1	व्यक्तिगत ऋण	10.00 लाख
2	कार ऋण (फ्लोटिंग)	20.00 लाख
3	ट्रेडर्स लोन	60.00 लाख
4	बिजनेस टर्म लोन	60.00 लाख
5	स्वर्ण/स्वर्ण आभूषण	2.00 लाख
6	लोन अगेन्स्ट प्रापर्टी	60.00 लाख
7	गृह ऋण (फ्लोटिंग)	75.00 लाख
	गृह ऋण (फिक्सड)	75.00 लाख
8	दो पहिया वाहन	2.50 लाख
9	टॉप–अप हाउसिंग लोन	30.00 लाख तक स्थिति अनुसार
10	ओवर ड्राफ्ट लिमिट	कर्मचारी के 5 माह के वेतन के अनुसार या अधिकतम रू0 3.00 लाख जो भी कम हो
11	व्यवसायिक वाहनों हेतु	10.00 लाख अधिकतम
12	शिक्षा ऋण	अभिभावक की प्रतिदान क्षमता या शिक्षा के खर्च का 75 प्रतिशत
13	पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना	0.10 लाख से 0.50 लाख तक
14	डेरी (Dairy)	0.80 लाख से 4.80 लाख तक
15	मुर्गी पालन (Poultry)	2.50 लाख तक
16	मत्स्य पालन (Fisheries)	2.00 लाख तक
17	एग्री क्लीनिक्स एवं एग्री बिजनेस सेन्टर	7.50 लाख तक
18	रिन्यूऐवल एनर्जी	5.00 लाख तक
19	एग्रो प्रोसेसिंग	40.00 लाख तक
20	होम लोन टेकओवर (फिक्स्ड)	75.00 लाख तक
	होम लोन टेकओवर (फ्लोटिंग)	75.00 लाख तक
21	एफपीओ को ऋण	60.00 लाख तक
22	पीएम विश्वकर्मा योजना	1.00 लाख से 3.00 लाख तक
23	एमएसएमई योजना	60.00 लाख तक
24	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	25.00 लाख तक

6. <u>ऋण का प्रकार</u>

बैंक द्वारा टर्म लोन तथा कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी।

7. ऋण की अवधि

ऋण की बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अथवा भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या अन्य रेग्यूलेटरी संस्थाओं द्वारा योजनाओं हेतु निर्धारित अवधि के अनुसार होगी।

8. ब्याज दर

ऋणों पर ब्याज की दरों का निर्धारण बैंक की एल्को (ALCO) कमेटी द्वारा किया जायेगा एवं बैंक के सम्बन्धित विभाग ब्याजदरों के निर्धारण के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव बैंक की एल्को (ALCO) कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात् एल्को कमेटी के निर्णय को बैंक की प्रबन्ध समिति से अनुमोदित कराया जायेगा।

9. सांविधिक नियन्त्रणः–

बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत बैंक स्वयं के शेयरों के सापेक्ष ऋण प्रदान नहीं करेगा तथा इसी एक्ट की उक्त धारा 20 (1) के अन्तर्गत बैंक अपने संचालकों तथा ऐसी इकाईयों जिनमें वे पदाधिकारी को ऋण प्रदान नहीं करेगा।

10. नियामक संबंधी नियंत्रणः–

10 ए. ऐसे उद्योग जो ओजोन उत्सर्जित करते हों अथवा ओजोन के स्तर को कम करने वाले पदार्थो का क्षरण करते हों **(ODS)** को ऋणः–

बैंक ऐसे किसी नई यूनिट की स्थापना हेतु ऋण प्रदान नहीं करेगा जो ओजोन के स्तर का क्षरण करने वाले पदार्थो का उत्पादन करती हो अथवा ऐसे पदार्थों की खपत करती हो। ऐरोसोल उत्पन्न करने वाली लघु/मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ, जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन का प्रयोग करती हों, को भी बैंक ऋण प्रदान नहीं करेगा।

10 बी. संवेदनशील वस्तुओं के विषय में ''सेलेक्टिव क्रेडिट कण्ट्रोल **(SCC)** के अतंर्गत ऋण प्रदान करने पर नियंत्रणः–

बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21 व 35 ए के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुपालन में बैंक संवेदनशील वस्तुओं की मुनाफाखोरी के लालच से कालाबाजारी के प्रयोजन के लिए ऋण स्वीकृत नहीं करेगा।

10सी. शुगर (चीनी) स्टॉक का मूल्यांकनः–

1. चीनी मिलों द्वारा बैंक के पक्ष में गिरवी की गयी चीनी स्टाक का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक–07.02.1984 तथा नाबार्ड के नीतिगत परिपत्र दिनांक–01.11.2003 में निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। लेवी चीनी स्टाक (यदि कोई हो) का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा निर्गत दरों के अनुसार किया जायेगा।
2. बैंक द्वारा गिरवी चीनी स्टाक के अन्तर्गत फ्री सेल चीनी स्टाक का मूल्यांकन गत तीन माह में चीनी बिक्री की औसत दर तथा चीनी की चालू बिक्री दर इनमें से न्यूनतम दर पर एवं लेवी चीनी स्टाक (यदि कोई हो), पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा।
3. सहकारी क्षेत्र की ऋणात्मक नेटवर्थ वाली चीनी मिलों द्वारा बैंक के पक्ष में गिरवी चीनी स्टाक पर 20 प्रतिशत मार्जिन, धनात्मक नेटवर्थ वाली चीनी मिलों द्वारा बैंक के पक्ष में गिरवी चीनी स्टाक पर 15 प्रतिशत मार्जिन तथा लेवी चीनी (यदि कोई हो) पर मार्जिन 10 प्रतिशत तथा बफर स्टाक पर मार्जिन शून्य रखा जायेगा।

10 डी़ दूसरे बैंकों द्वारा जारी मियादी जमा के सापेक्ष ऋणः–

बैंक, दूसरे बैकों द्वारा जारी मियादी जमा के सापेक्ष ऋण प्रदान नहीं करेगा।

10.ई. बैंक द्वारा जारी मियादी जमा के सापेक्ष ऋणः–

- बैंक द्वारा स्वयं के मियादी जमा के विरूद्ध मूल ऋण राशि के 85 प्रतिशत तक ऋण सीमा स्वीकृत की जायेगी तथा क्रेडिट ऋण सीमा पर प्रभारित ब्याज दर, सी0सी0 लिमिट पर अतिरिक्त ब्याज दर प्रबन्ध समिति द्वारा पारित निर्णयानुसार चार्ज की जायेगी। स्वीकृत सी0सी0 लिमिट एफडी के विरूद्ध कम अथवा ज्यादा प्रबन्ध समिति द्वारा पारित निर्णय के क्रम में किया जा सकेगा।
- सहकारी संस्थायें यदि मियादी जमा के विरूद्ध कैश क्रेडिट सीमा लेती हैं तो ऐसी दशा में बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित निर्णय के अनुसार कैश क्रेडिट सीमा पर अतिरिक्त चार्ज किया जायेगा। प्रबन्ध समिति ब्याज का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों के अनुसार निर्धारित करेगी।
- रिकरिंग डिपाजिट के विरूद्ध कैश क्रेडिट ऋण सीमा रिकरिंग डिपाजिट के अन्तर्गत जितनी मासिक किस्तें जमाकर्ता द्वारा जमा की गयीं होगी उसके 85 प्रतिशत तक या जैसा बैंक की प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित की गयी हो, तक कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत की जा सकेगी तथा इस पर प्रभारित की जाने वाली अतिरिक्त ब्याज की दर आवर्ती पर दिये जा रहे ब्याज से 1 प्रतिशत अधिक होगी। बैंक की प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा कि वह इस अतिरिक्त ब्याज की दर एवं सी0सी0 लिमिट को घटा बढ़ा सकती है।
- कैश क्रेडिट ऋण सीमा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संशोधन करने लिए भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक की प्रबन्ध समिति संशोधन कर सकेगी।

11 विभिन्न प्रस्तर के ऋणों हेतु बजट का निर्धारणः–

- बैंक प्रत्येक वर्ष के लिये ऋण वितरण का बजट निर्धारित करेगा।
- बैंक द्वारा ऋण सहकारी एवं गैर सहकारी दोनों ही क्षेत्रों में दिया जायेगा। इस संबंध में बैंक भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965, आयुक्त एवं निबन्धक कार्यालय, भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार एवं अन्य नियामक संस्थाओं के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेगा तथा सामान्यतः प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिये ऋणों के संवितरण को प्राथमिकता देगा।
- बैंक का हर संभव यह प्रयास रहेगा कि विभिन्न क्षेत्र के उद्यमियों जैसे व्यक्तिगत, मालिक फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कम्पनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी, व्यक्तियों के समूह/संगठन तथा सरकार के स्वामित्व वाली अन्डरटेकिंग आदि सभी को वित्त पोषित करेगा तथा वित्त पोषण के सम्बन्ध में नाबार्ड द्वारा निर्गत एक्सपोजर नार्म्स का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

11बी. ऋण हेतु पात्रताः–

1. ऋण एवं ऋणी की गतिविधि दोनों विधिक रूप से अनुमन्य, उद्देश्य परक तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वांछनीय होने चाहिये तथा ऋणी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी भी नियामक संस्था, भारत सरकार, उ0प्र0 सरकार आदि द्वारा प्रतिबन्धित हो।
2. ऋणी कोई समाज विरोधी कार्य, आतंकवाद से सम्बन्धित कोई कार्य आदि नहीं करेगा या कोई पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले क्षेत्र जिसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, को स्वीकृत नही करेगा।
3. ऋणी का ऋण के सम्बन्ध पिछला ट्रेक रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिये।
4. ऋणी की मार्केट रिपोर्ट उचित होनी चाहिये तथा उसकी प्रबंधन क्षमता भी अच्छी होनी चाहिये।
5. के0वाई0सी0 तथा ए0एम0एल0 नार्म्स के अंतर्गत ऋणी की स्वीकार्यता होनी चाहिये।
6. ऋणी की पात्रता का निर्धारण बैंक द्वारा योजनावार निर्गत परिपत्रों के अनुरूप होना चाहिए।
7. ऋणी को तभी ऋण प्रदान किया जायेगा जब वह बैंक द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण करता हो।
8. ऋणी का सिबिल स्कोर बैंक द्वारा वर्तमान में निर्धारित मानकों (वर्तमान में 700 या 700 ये अधिक होना चाहिए,) विशेष परिस्थितियों में शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक/अनुभाग ऋणी के अन्य पहलुओं पर विचार कर सिबिल स्कोर में 50 अंकों की अधिकतम छूट प्रदान कर सकता है। जिन योजनाओं में बैंक द्वारा सिबिल स्कोर नहीं लेने की अनुमति दी गयी है वहां पर ऋणी का सिबिल स्कोर प्राप्त नहीं किया जायेगा।
9. ऋणी एवं उसके गारण्टर से सम्बन्धित सिबिल स्कोर की फीस, जीएसटी सहित ऋणी से ली जायेगी।
10. ऋणी एवं गारन्टर का सिबिल स्कोर प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसकी फीस जीएसटी सहित ऋणी देगा।

11. प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूवेशन फीस, अधिवक्ता फीस, सी0एस0 की फीस आदि ऋण योजनाओं हेतु बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों (योजनावार) के अनुसार भारित होगी।
12. सीजीटीएमएसई गारन्टी फीस जीएसटी सहित ऋणी वहन करेगा।
13. सरफेसी एक्ट, उ0प्र0सहकारी समिति अधिनियम या अन्य प्रकार की वसूली हेतु व्यय होनी वाली फीस ऋणी वहन करेगा।

12. कार्य प्रणाली एवं प्रक्रियाः–

12ए. ऋण दाता के रूप में बैंक का निष्पक्ष कार्यप्रणाली कोड (फेयर प्रेक्टिस कोड फॉर लेण्डर्स):–

भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड / आर0सी0एस0 / उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 / अन्य नियामक संस्थाओं आदि के दिशा– निर्देशानुसार बैंक द्वारा, ऋण दाता के रूप में, निष्पक्ष कार्यविधि का कोड निर्धारित किया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

1. ग्राहकों को पेशेवर ढंग से दक्ष, शिष्ट, त्वरित एवं सावधानीपूर्वक सेवा प्रदान करना।
2. धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न करना।
3. ऋण उत्पादों के विपणन एवं जनसाधारण को किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान करते समय ईमानदारी व निष्कपटता बरतना।
4. ऋण संबंधी लेन देनों के विषय में ग्राहकों को समय पर ऋण की शर्तों, खर्चों, अधिकारों, देयताओं आदि की सही जानकारी प्रदान करना।
5. किसी भी प्रकार के मतभेद की दशा में बैंक के भीतर गठित शिकायत निवारण कक्ष द्वारा सद्भावना से विवादों का निराकरण करना।
6. ग्राहकों को ऋण आवेदन पत्र प्रदान करते समय ही ब्याज की दर, प्रोसेसिंग सेवा संबंधी खर्चों तथा खर्चों की वापसी आदि के बारे में समुचित जानकारी प्रदान करना ताकि ग्राहक दूसरे उपलब्ध विकल्पों से तुलना कर सके।
7. ऋण आवेदन की पावती प्रदान करना।
8. ऋण आवेदन को निरस्त करने के मुख्य कारणों को ग्राहक को सूचित करना।
9. ग्राहक को दिये गये स्वीकृति पत्र में ऋण राशि, शर्तें, ब्याज दर, देय शुल्क, दण्ड ब्याज, किश्त एवं प्रतिभूति आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना।
10. ग्राहकों को उच्चकोटि की ग्राहक सेवा प्रदान करने एवं किसी विवाद की स्थिति में शिकायत का समय से निवारण करने के लिये बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत निवारण नीति भी बनायी गयी है।

12बी. के.वाई.सी. मानक सहितः–

के.वाई.सी. संरचना के उद्देश्य दो प्रकार हैं। पहला– ग्राहक की उचित पहचान करना तथा दूसरा– खातों में संदेहजनक लेन देनों पर नजर रखना। बैंक द्वारा के.वाई.सी. निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। नये ग्राहकों की पहचान एवं वैध अस्तित्व जानने के लिये

आवश्यक सभी दस्तावेजों/जानकारियों को मांगा जायेगा एवं समुचित सतर्कता बरती जायेगी ताकि बैंकिंग पद्धति का कपटपूर्ण कार्य की बद्नियती से दुरूपयोग न होने पाये। इस सम्बन्ध में बैंक द्वारा समय–समय पर नियामक संस्थाओं के निर्देशों के क्रम में जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

12सी. चालू खाता खोलनाः–

ऋण खातों में अनुशासन बनाये रखने के लिये नया चालू खाता खोलते समय शाखायें निम्न सावधानियाँ बरतेंगीः–

- आवेदनकर्ता से इस आशय की घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उसके द्वारा किन–किन बैंकों में चालू खाता खोला गया है तथा कौन–कौन से ऋण (टर्म एवं कैश क्रेडिट या कोई अन्य) स्वीकृत कराए गए हैं।
- आवेदनकर्ता से यह जानकारी ली जायेगी कि क्या वह किसी सहकारी समिति अथवा बैंक का शेयर धारक या सदस्य है यदि जानकारी हाँ में हो तो समिति का नाम, शेयरों की संख्या, प्राप्त की गयी ऋण सुविधाओं की जानकारी जैसे ऋण राशि, बकाया राशि, देय तिथि आदि ली जायेगी।
- कैश क्रेडिट के मामले में कैश क्रेडिट ऋण खाता बैंक द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन करते हुए खोला जायेगा।

12डी. क्रेडिट इन्फॉरमेशन कम्पनी से प्राप्त क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट :–

- ऋणी तथा जमानतियों से सहमति ली जानी चाहिये कि उनका नाम एवं खाते की जानकारी सिबिल (CIBIL) अथवा दूसरे क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो को दी जायेगी।
- ऋणों के सम्बन्ध में शाखाओं/मुख्यालय के अनुभागों (स्टाफ ऋण को छोड़कर) को सिबिल (CIBIL) अथवा अन्य क्रेडिट इन्फॉरमेशन ब्यूरो के पोर्टल से ऋणी, प्रोमोटर, डायरेक्टर, साझेदार, जमानती आदि की क्रेडिट रिपोर्ट कनज्यूमर एवं कॉमर्शियल दोनों लेनी होगी। कृषि ऋण आवेदन के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/आर0सी0एस0/उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965/अन्य नियामक संस्थाओं आदि के अनुरूप व्यवस्था लागू होगी।
- सिबिल रिपोर्ट व्यक्तिगत एवं कॉरपोरेट दोनों प्रकार के ऋणियों, डायरेक्टर, साझेदार एवं गारण्टरों की ली जायेगी।
- Finance Income and Trade Rank (फिट रैन्क), New To Credit (एनटीसी) एवं सीएमआर रैन्क प्राप्त की जायेगी।

निम्न प्रकार के ऋणों के मामले में क्रेडिट रिपोर्ट आवश्यक नहीं होगी।

- बैंक डिपॉजिट, एनएससी/केवीपी/अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ/आर0बी0आई0 बॉण्ड/एल0आई0सी0 सरेण्डर वैल्यू के सापेक्ष ऋण।

भारत सरकार या उ0प्र0 सरकार की उन योजनाओं में सिबिल स्कोर प्राप्त नहीं किया जायेगा जहां पर इसकी छूट दी गयी हो।

यदि किसी एक क्रेडिट ब्यूरो से क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मिल रही है अथवा 6 माह से कम की हिस्ट्री हो तो दूसरे क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट ली जायेगी तथा तत्पश्चात् अन्य घटकों को दृष्टिगत रखते हुये ऋण आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा। कभी कभी क्रेडिट कार्ड के देय व इस प्रकार के अन्य विवादों के कारण ऋणियों/ जमानतियों आदि के नाम सिबिल रिपोर्ट में परिलक्षित होते हैं तथा कभी कभी सही मामलों में भी सिबिल रिपोर्ट से उनके नाम हटाने में अति विलम्ब होता है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत अधिकारी/बैंक सही प्रकार से की गयी जाँच से संतुष्ट होकर कि रिपोर्ट में दिखायी जा रही देयतायें अब बकाया नहीं हैं अथवा भुगतान कर दी गयी हैं, सिविल रिपोर्ट से नाम न हट पाने पर भी ऋण स्वीकृत कर सकते हैं, किन्तु यह विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा।

12ई. ऋण की स्वीकृति के लिये प्रदत्त प्राधिकार :-

ऋण स्वीकृति के विषय में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बैंक के अधिकारियों/शाखा एवं प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित उप समितियों को निम्नवत् विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करते हुए ऋण स्वीकृत करने के लिए अधिकृत करते हैं :-

क्र0 स0	प्राधिकृत अधिकारी/ समिति	ऋण प्रदान करने की शक्ति के अंतर्गत अधिकृत राशि (रू0 लाखों में)
1.	बैंक शाखा स्तर पर।	मु0 35.00 लाख तक का ऋण वितरण शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी के माध्यम से करेगी।
2.	मुख्यालय स्तर पर गठित अर्बन लोन फैक्ट्री द्वारा	शाखा स्तर से व्यवसाय विविधीकरण योजनान्तर्गत रू0 35.00 लाख से अधिक ऋणों का ऋण वितरण मुख्यालय स्तर पर गठित अर्बन लोन फैक्ट्री की संस्तुति के उपरान्त शाखा स्तर से वितरित किये जायेंगे तथा एमएसएमई एवं एफपीओ आदि सम्बन्धी ऋण जो सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर या अन्य किसी गारण्टी

		कवर से आच्छादित हैं, उन्हें शाखा स्तर पर गठित ऋण कमेटी के माध्यम से ही करेगी, उन्हें मुख्यालय नहीं भेजा जायेगा।
3.	बैंक बोर्ड की प्रबन्ध समिति	बैंक मुख्यालय स्तर के एनएडी एवं एसीडी अनुभाग या अन्य अनुभागों के स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले ऋण प्रबन्ध समिति द्वारा पारित निर्णय के पश्चात् ही स्वीकृत किये जायेंगे।
4.	स्टाफ को स्वीकृत ऋण	मुख्यालय के प्रशासन अनुभाग द्वारा बैंक स्टाफ को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण प्रशासन अनुभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था एवं निर्गत परिपत्रों के अनुरूप स्वीकृत किये जायेंगे।

12एफ. प्राइमरी/कोलेटरल ऋणों के विरूद्ध प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एवं मूल्यांकन कर्ताओं का पैनल

1. प्राइमरी/कोलेटरल प्रतिभूति के तौर पर रखी जाने वाली अचल सम्पत्तियों, भू सम्पत्ति/स्टॉक सहित का मूल्यांकन रजिस्टर्ड वैल्यूवर से कराया जायेगा।
2. दृष्टिबन्धक **(Hypothecated)** प्लान्ट मशीनरी के मामले में पिछले वर्ष की बैलेन्स शीट में दी गयी राशि को ही मूल्य माना जाना चाहिये। फिर भी आवश्यकतानुसार अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन कराया जा सकता है।
3. बेहतर तुलनात्मक स्थिति का आंकलन करने के लिये मूल्यांकन कराते समय वर्तमान बाजारीय मूल्य के साथ साथ रिलाइजेवल **(Realisable)** मूल्य, डिस्ट्रेस सेल मूल्य, खरीद मूल्य तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य भी मूल्यांकनकर्ता से लिया जायेगा।
4. सम्पत्ति का स्वीकार्य मूल्य बैंक द्वारा परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगा।
5. बैंक मुख्यालय स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में अचल सम्पत्ति एवं अन्य सिक्योरिटीज़ का मूल्यांकन सम्बन्धित अनुभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

6. प्राइमरी सिक्योरिटी/कोलेटरल सिक्योरिटी के सम्बन्ध में समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड आदि द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किसी भी प्रकार का संशोधन बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।
7. प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लिए जाने वाले स्टाक/प्लांट मशीनरी को हाइपोथिकेट (Hypothicate) किया जायेगा तथा कोलेटरल सिक्योरिटी को इक्वीटेबुल मार्डगेज किया जायेगा तथा यदि इक्वीटेबुल मार्डगेज अनुमन्य नहीं है तो रजिस्टर्ड मार्डगेज या अन्य व्यवस्था जो निर्धारित की गयी हो।

12जी. मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल बनानाः–

ऋणों की स्वीकृति हेतु एसेट/लाइबिलिटी का मूल्यांकन बैंक द्वारा गठित मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में से किसी मूल्यांकनकर्ता से कराया जा सकेगा। इस हेतु गठित पैनल परिवर्तन यथा आवश्यक संशोधन सम्बन्धित अनुभाग स्तर से कराया जा सकेगा।

मूल्यांकनकर्ताओं की न्यूनतम आर्हता को बैंक आवश्यकतानुसार पुनर्निर्धारित कर सकता है अथवा बदल सकता है। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन कार्यों के लिये जैसे– भूमि–भवन, प्लान्ट मशीनरी, कृषि भूमि आदि हेतु विभिन्न प्रकार की आर्हता निर्धारित की जा सकती है। बैंक इस हेतु वैल्थ टैक्स एक्ट 1957 की धारा 34 AB (रूल 8A) के अंतर्गत दी गयी आर्हताओं पर भी विचार कर सकता है।

12एच. अचल सम्पत्तियों की विधिक छानबीन (legal search) तथा नॉन इन्कमबरेंस सर्टिफिकेट लेना तथा इस हेतु अधिवक्ताओं का पैनल बनानाः–

1. स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों के विरूद्ध अचल सम्पत्ति को प्रतिभूति के तौर पर स्वीकार करने से पूर्व पैनल अधिवक्ता से विधिक राय/एन0ई0सी0 **(Non Encumbrance Certificate)** प्राप्त किया जायेगा।
2. अधिवक्ता द्वारा प्रतिभूति के मामले में स्पष्ट, विधि सम्मत, मौजूद तथा विपणन योग्य टाइटिल की सूचना बैंक को देनी होगी तथा प्रभारग्रस्तता की अद्यतन स्थिति का प्रमाण पत्र 'शून्य' प्रभारग्रस्तता के साथ प्रदान करना होगा। **(सरसई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी भी कार्यवाही करनी होगी।)**
3. **बैंक मुख्यालय स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों के मामलों में गठित पैनल के दो** अधिवक्ताओं से टाइटल डीड के बारे में विधिक राय एवं नान इनकमब्रेन्स का प्रमाण पत्र लिया जायेगा या वर्तमान में जो व्यवस्था परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित की गयी है, लागू होगी।
4. लीगल सर्च की न्यूनतम अवधि 12 वर्ष होगी। बड़ी धनराशि के ऋणों में जैसा कि बैंक की प्रबन्ध समिति निर्धारित करे या बैंक द्वारा परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित किया गया हो, सर्च रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी।

5. अधिवक्ता द्वारा अपनी रिपोर्ट में मूल टाइटिल तथा टाइटिल की श्रृंखला के बारे में मूल डीड तथा उत्तरवर्ती डीडों का अध्ययन करके पर्याप्त जानकारी दी जायेगी।
6. सम्पत्तियों की समुचित पहचान के लिये अधिवक्ता द्वारा बिजली एवं पानी के संयोजन, जीएसटी पंजीकरण आदि की भी छान बीन की जायेगी, यदि उपलब्ध हों तो।
6. वैध मार्डगेज के सृजन के लिये आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति जो मान्य हो, की सूची अधिवक्ता द्वारा प्रदान की जानी चाहिये। मार्डगेज मूल दस्तावेजों के आधार पर ही किया जायेगा।
7. अधिवक्ता द्वारा मूल दस्तावेजों की भी जाँच की जायेगी तथा इनके वास्तविक/असली होने का भी प्रमाण पत्र अपनी रिपोर्ट में निरपवाद रूप से देना आवश्यक है।
8. बड़ी धनराशि के राशि के ऋणों के मामले में अधिवक्ता द्वारा टाइटिल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ सम्बन्धित संस्थाओं से निकलवायी जायेगी तथा अपनी रिपोर्ट के साथ बैंक में प्रस्तुत की जायेगी या बैंक द्वारा परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए।
9. प्रतिभूतियों की स्थिति पर निगरानी बनाये रखने के प्रयोजन से प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर हर एक सम्पत्ति की नयी सर्च/एन0ई0सी0 रिपोर्ट ली जा सकती है।

12आई. अधिवक्ताओं का पैनल बनानाः–

1. अधिवक्ताओं का पैनल बैंक की प्रबन्ध समिति से अनुमोदित कराकर बनाया जायेगा।
2. अधिवक्ताओं का पैनल बनाने के लिए बैंक नियम एवं शर्तें निर्धारित करेगा।
3. उ0प्र0 सीमा में बैंक की 40 शाखायें हैं। अतः यदि सब जगह अधिवक्ताओं का पैनल उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में अधिवक्ता से रिपोर्ट बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जा सकेगी।
4. एसीडी अनुभाग/एनएडी अनुभाग द्वारा स्वीकृत किये जा रहे ऋणों हेतु एनएडी अनुभाग अपनी व्यवस्था निर्धारित करेगा।

13. स्वीकृतिपूर्ण एप्रैजल एवं मूल्यांकनः–

13ए. स्वीकृतिपूर्ण समीक्षा एवं ऋण का मूल्यांकनः–पात्र ऋणियों को ही बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा क्योंकि बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋण वितरित किये जा रहे हैं, इसलिए पात्रता का उल्लेख योजनावार ऋण परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित किया जायेगा।

1. ऋण स्वीकृति पूर्व के सभी आवश्यक प्रपत्र जैसे–के0वाई0सी0 प्रपत्र, ऋण पात्रता की शर्ते, वित्तीय विवरणों (तुलन पत्र आदि) का विश्लेषण, प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विश्लेषण, ऋणी के बारे में निवर्तमान की जानकारी जानने के लिये ऋणी व जमानतियों के साक्षात्कार सहित समस्त जानकारियाँ जुटाना (डयू डिलिजेन्स), अन्य बैंकों के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान करना, ऋणी के घर, कार्यालय तथा व्यवसाय स्थल का भ्रमण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों

(Collateral Security/रजिस्टर्ड प्रतिभूति) आंकलन, ऋण चुकाने की क्षमता का आंकलन, साख रिपोर्ट, बाजार की जानकारी, कानूनी विवाद, छापेमारी की जानकारी, जहाँ लागू हो आर0ओ0सी0 (रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी) की साइट से डाटा का सत्यापन तथा वर्तमान खातों में लेन–देन आदि की जानकारी, ऋण आवेदन पर विचार तथा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व तत्परता से सम्पादित कर लेना आवश्यक है।

2. एमएसएमई ऋण, एफपीओ को ऋण, ट्रेडर्स ऋण एवं टर्म ऋण आदि व्यवसायिक ऋणों के मामलों में ऋणी से इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न एवं अन्य प्रपत्र जो ऋण स्वीकृत करने के लिए आवश्यक होंगे प्राप्त किये जायेंगे तथा उसका सत्यापन बैंक द्वारा किया जायेगा।
3. सीए द्वारा डयूडेलिजेन्स आदि के सम्बन्घ में प्रमाणित किये गये प्रपत्रों पर UDIN (Unique document Identification Number) नम्बर अवश्य लिया जायेगा।
4. कम्पनी के मामलों में कम्पनी का सीआईएन एवं कम्पनी पर अन्य बैंकों का चार्ज तथा एम0सी0ए0 की साइट का निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। कम्पनी के ऋण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व एम0सी0ए0 साइट से आवेदक कम्पनी एवं डाइरेक्टरों के बारे में जानकारी ली जानी चाहिये।
5. ऋण आवेदन पर विचार करने से पूर्व प्रतिभूति के तौर पर प्रस्तावित सम्पत्तियों के बारे में सरसई पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड कर जानकारी ली जायेगी।
6. जो ऋण सीजीटीएमएसई गारण्टी या किसी अन्य गारण्टी से आच्छादित होगें उन ऋणों में कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी तथा ऐसे ऋणों में प्लान्ट एवं मशीनरी तथा स्टॉक को हाइपोथिकेट/प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर रखा जायेगा। यदि सीजीटीएमएसई द्वारा या अन्य संस्था द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी लिये जाने को मान्यता प्रदान की जाती है तो कोलेटरल सिक्योरिटी ली जायेगी, सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा समय–समय पर किए गये संशोधन लागू होंगे।
7. जो ऋण सीजीटीएमएसई या अन्य गारण्टी से आच्छादित नहीं होंगे उनमें कोलेटरल सिक्योरिटी ली जायेगी।

13बी. ऋणों के प्रकारः–

बैंक सामान्यतः निम्न प्रकार के ऋणों एवं अग्रिमों पर स्वीकृति हेतु विचार करेगा।

13सी. फण्ड आधारितः–

1. मियादी ऋण
2. कैश क्रेडिट
3. ओवर ड्राफ्ट
4. एमएसएमई ऋण
5. एफपीओ

6. एआईएफ

या अन्य कोई योजना जिसे बैंक समय–समय पर लागू करे।

13डी. फण्ड पर आधारित ऋण मोटे तौर पर निम्न प्रकार दो श्रेणियों में बॉटे जा सकते है:–

- मियादी ऋण (टर्म लोन)
- कार्यशील पूँजी ऋण (वर्किंग कैपीटल लोन)

13ई. मियादी ऋण

ऋणी को स्थाई सम्पत्ति **(Fixed Assets)** की खरीद, फैक्ट्ररी भवन के निर्माण तथा मशीनरी, इक्विपमेन्ट आदि की स्थापना हेतु बैंक द्वारा दिये जाने वाला ऋण सावधिक अथवा मियादी ऋण कहलाता है। मियादी ऋण ऐसी अग्रिम सुविधा है जिसे निश्चित अवधि में किश्तों में चुकाया जाता है।

ऐसेट लाइबिलिटी मैनेजमेन्ट **(ALM)** की दृष्टि से मियादी ऋण को शेष अवधि के अनुसार निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है:–

शेष ऋण अवधि	**वर्गीकरण**
एक वर्ष तक वर्किंग कैपीटल ऋण सहित	शॉर्ट टर्म लोन
एक वर्ष से अधिक व पाँच वर्ष तक	मीडियम टर्म लोन
पांच वर्ष से अधिक	लॉन्ग टर्म

13एफ. कार्यशील पूँजी ऋण (वर्किंग कैपीटल ऋण)/कैश क्रेडिट ऋण

कार्यशील पूँजी ऋण व्यवसाय के दैनिक संचालन हेतु प्रदान किया जाता है। इसके अन्तर्गत कच्चा माल खरीदने, श्रमिको के वेतन, पावर बिल, निर्मित वस्तुओं की बिक्री होने तक रख–रखाव आदि हेतु पूँजी की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यशील पूंजी ऋण/कैश क्रेडिट ऋण नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।

13जी. कार्यशील पूॅजी की आवश्यकता का आंकलन:–

कार्यशील पूॅजी की आवश्यकता की गणना एवं बैंक द्वारा इस हेतु वित्तपोषण के लिये सामान्यत: निम्न प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लायी जाती है:–

- ऑपरेटिंग साइकिल विधि
- ट्रैडीशनल विधि
- टर्न ओवर विधि (नायक कमेटी की अनुसंशानुसार)
- कैश बजट विधि आदि के आधार पर किया जा सकता है।

- बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों में दी गयी व्यवस्था कैश क्रेडिट/कार्यशील पूंजी ऋण हेतु अपनायी जायेगी।

टर्न ओवर विधि

बैंक नायक कमेटी की अनुसंशा पर आधारित टर्न ओवर विधि को आर0बी0आई0/नाबार्ड एवं आर0सी0एस0 के दिशा निर्देशानुसार प्रयोग में लायेगा। इसके लिए बैंक द्वारा योजनावार निर्गत ऋण परिपत्रों के अनुसार ऋण स्वीकृत किया जायेगा।

13एच.. मियादी ऋणों हेतु अनुपातिक विश्लेषणः–

मियादी ऋणों हेतु विभिन्न अनुपात यथा–डेट इक्विटी रेशियों, डेट सर्विस कवरेज रेशियों आदि का निर्धारण योजना हेतु निर्गत परिपत्र के अनुसार होगा।

13.आई. प्रतिभूति (सिक्योरिटी):– सामान्य–

1. बैंक ऋण से प्लेज आस्तियों (प्राथमिक प्रतिभूतियों) पर बैंक का प्रभार– चार्ज, लियन, मॉर्टगेज आदि, जैसा लागू हो, के रूप में दर्ज कराया जायेगा।
2. सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर या अन्य गारण्टी कवर से आच्छादित ऋणों में कोलेट्रल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं ली जायेगी तथा यदि ऋण कोलेट्रल सिक्योरिटी के अन्तर्गत अनुमन्य किया जायेगा तो ऐसी दशा में गारण्टर्स की गारण्टी ली जायेगी।
3. सीजीटीएमएसई या अन्य गारण्टी फीस ऋणी से ली जायेगी। इस सम्बन्ध में योजनावार बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुसार अन्य कार्यवाही की जायेगी।
4. कोलेट्रल सिक्योरिटी के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों हेतु ऋण राशि का डेढ़ गुना मूल्य की अचल सम्पत्ति या एक गुना मूल्य के एफडी, किसान विकास पत्र, एनएससी आदि ली जायेगी। इस हेतु योजनावार बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लिखित व्यवस्था स्वीकार की जायेगी।
5. सम्पार्श्विक प्रतिभूति किसी भी प्रकार की तरल प्रतिभूति अथवा अचल सम्पत्ति जो ऋणी अथवा उसके जमानतियों द्वारा प्रस्तावित की गयी हो के रूप में स्वीकार की जा सकती है इस हेतु योजनावार बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लिखित व्यवस्था स्वीकार की जायेगी।
6. किसी भी दशा में दृष्टिबंधक स्टॉक तथा प्लान्ट व मशीनरी को सम्पार्श्विक प्रतिभूति का हिस्सा नहीं माना जायेगा। कैश क्रेडिट ऋण सीमा स्वीकृत करते समय या टर्म लोन स्वीकृत करते समय प्लान्ट, मशीनरी एवं स्टॉक को बैंक के पक्ष में प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में लिया जायेगा एवं हाइपोथिकेट कराया जायेगा।
7. व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट गारंटी को सम्पार्श्विक प्रतिभूति (कोलेट्रल सिक्योरिटी) नहीं माना जायेगा।
8. यदि सम्पार्श्विक सिक्योरिटी ली जायेगी तो उसे साम्य बन्धक कराया जायेगा किन्तु यदि ऋणी रजिस्टर्ड मॉडगेज के लिए भी तैयार है तो उसे साम्य बन्धक के स्थान पर रजिस्टर्ड मॉर्डगेज भी कराया जा सकता है या जिन स्थानों पर साम्य बन्धक अनुमन्य नहीं है वहां पर रजिस्टर्ड मॉर्डगेज कराया जायेगा।

9. जिन ऋणों/अग्रिमों के मामले में भा0रि0बैंक/नाबार्ड/आर.सी.एस. या अन्य रेग्यूलेटरी संस्थाओं के निर्देशों के तहत सम्पार्श्विक प्रतिभूति लेना प्रतिबंधित हो, सम्पार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जायेगी।

13 जे. व्यक्तिगत/तृतीय पक्ष की गारंटी :–

1. संबंधित ऋण उत्पाद में दी गयी शर्तों के अनुरूप ऋण जोखिम के दृष्टिगत ऐसे व्यक्तियों अथवा तृतीय पक्ष की गारंटी ली जायेगी जिनकी साख (नेट वर्थ) विश्वसनीय एवं आर्थिक क्षमता अच्छी हो।
2. साझेदारी फर्म अथवा लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म आदि को प्रदत्त ऋण के मामले में सभी साझेदारों की व्यक्तिगत जमानत ली जायेगी। सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर से आच्छादित ऋणों पर व्यक्तिगत जमानत नहीं ली जायेगी।
3. ट्रस्ट को प्रदत्त ऋण के मामले में सभी ट्रस्टीज की एवं सोसायटी के मामले में सभी पदाधिकारियों की व्यक्तिगत जमानत ली जायेगी। सीजीटीएमएसई गारण्टी कवर से आच्छादित ऋणों पर व्यक्तिगत जमानत नहीं ली जायेगी।
4. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को सम्मिलित करते हुये ऐसे सभी ऋणों के मामलों में प्रोमोटरों/प्रोमोटर ग्रुप के मुख्य सदस्यों की व्यक्तिगत गारण्टी ली जायेगी।
5. कम्पनी के निदेशकों तथा प्रबन्धकीय कार्यपालकों द्वारा गारंटी देने को कम्पनी से आय का साधन नहीं मानना चाहिये अथवा इसके लिये किसी प्रकार की कमीशन आदि की मांग नहीं की जायेगी।
6. यदि ऋण की सुरक्षा के लिये तीसरे पक्ष की प्रतिभूति पर प्रभार लिया गया है तो ऐसे तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत गारंटी अवश्य ली जायेगी।
7. ऋणी, इकाई की साख (क्रेडिट वर्दिनेस) ऑडिटेड/अंतिम तुलन पत्र के माध्यम से एवं निदेशकों, साझेदारों, मालिकों आदि की साख क्रेडिट सूचना रिपोर्ट के आधार पर आंकी जायेगी।

13.के. प्रतिभूतियों एवं व्यक्तिगत/तृतीय पक्ष की जमानत की प्रतिस्थापन्नताः–

1. ऋण स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी/समिति, प्रतिभूतियों (प्रभारित अथवा प्रस्तावित) के प्रतिस्थापन हेतु अनुमति प्रदान कर सकते हैं वशर्ते अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता, जो पूर्व के मूल्यांकनकर्ता से भिन्न हो, के आंकलन के अनुसार नयी सम्पत्ति का पाने योग्य (रिएलाइजेबल) मूल्य प्रतिस्थापित की जाने वाली सम्पत्ति के वर्तमान पाने योग्य मूल्य से कम न हो।

2. स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी/समिति व्यक्तिगत/तृतीय पक्ष की जमानत को प्रतिस्थापित करने के लिये अनुमति दे सकते हैं वशर्ते नये जमानती की साख (नेट वर्थ) प्रतिस्थापित होने वाले जमानती के बराबर अथवा उससे अधिक हो। ऐसे मामले खाते के महत्व एवं सम्भावित

व्यवसाय को दृष्टिगत रखते हुये पृथक–पृथक निस्तारित किये जाने चाहिये तथा जमानती के बदले जाने की आवश्यकता की तर्क संगतता का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये।

13 एल. ऋण प्रस्तावों के निस्तारण के लिये समय सीमा का निर्धारण–

प्राप्त ऋण प्रस्तावों का निस्तारण बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

13 एम. ऋण प्रस्तावों को निरस्त करना–

1. आवेदन तथा निरस्तीकरण की स्थिति को 'आवेदन प्राप्त रजिस्टर' में अंकित किया जायेगा।
2. बैंक इस बात का ध्यान रखेगा कि उचित एवं पात्र आवेदक को ऋण सुविधा से वंचित न रखा जाये।
3. आवेदन करने वाले ऋण आवेदकों के मामले में शाखा प्रबन्धक ऋण प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निरस्त किये जाने के प्रमुख कारणों के बारे में आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में सूचित करेंगे।
4. ऋण आवेदन प्राप्त पंजिका का प्रत्येक शाखा में रखी जायेगी। पंजिका में ऋण आवेदन प्राप्ति की तारीख, स्वीकृत तिथि अथवा निरस्तीकरण की तिथि संक्षिप्त कारण सहित अंकित की जायेगी। इस पंजिका को मांगे जाने पर बैंक अथवा नाबार्ड के निरीक्षण अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।

13 एन. दण्डात्मक शुल्कः–

ऋण की किश्तों के डिफाल्ट होने पर या खाता ओवर ड्राफ्ट होने पर 2 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज चार्ज किया जायेगा।

13 ओ. प्रलेखन (Documentation):–

बैंक विभिन्न प्रकार के ऋणों को स्वीरकृतज कर रहा है। अतः सम्बन्धित योजनानुसार बैंक द्वारा परिपत्रों में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप डाक्यूमेण्टेशन कराया जायेगा।

13.पी. प्रलेखन के आवश्यक तत्वः–

1. प्रलेखन का कार्य ऋण वितरण से पूर्व ही, सभी अपेक्षित विवरणों, जैसे– ब्याज की दर, वसूली की शर्तें, प्रमुख नियम वशर्तें, जिन पर दोनों पक्षों ने सहमति दी हो, आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुये पूरा कर कराया जायेगा या समय–समय पर बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार होगा।
2. सभी प्रलेखों में स्टॉम्प एक्ट के अनुसार निर्धारित स्टॉम्प ऋणी से लिये जायेंगे।
3. प्रलेख, सभी पृष्ठों पर निष्पादकों द्वारा स्पष्ट व पूरे हस्ताक्षर करके निष्पादित किये जाने चाहिये।
4. प्रलेखों में निष्पादन की तिथि, माह व वर्ष तथा स्थान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।

5. प्राथमिक तथा सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का पूरा विवरण अंकित होना चाहिये।
6. प्रलेखन के लिये प्रधान कार्यालय द्वारा मुद्रित प्रलेखों का ही उपयोग किया जाना चाहिये।
7. प्रलेखन के पश्चात् यथा–लागू समस्त विधिक औपचारिकताएं, जैसे– बैंक प्रभार को रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेन्स, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, सैन्ट्रल रजिस्ट्री तथा सीजीटीएमएसई आदि के पोर्टल पर निर्धारित समयावधि के अन्दर पंजीकरण, पूर्ण कर ली जानी चाहिये।

13 क्यू. लीगल ऑडिटः–

जिन ऋण मामलों में लीगल आडिट की आवश्यकता होगी उनका तत्काल आडिट कराया जायेगा।

13 आर.. ऋण संवितरणः–

प्रलेखन व प्रतिभूतियों पर प्रभार का कार्य तथा स्वीकृति के नियमों व शर्तों के परिपालन करते हुए शाखायें/अनुभाग ऋण स्वीकृत एवं अवमुक्त करेंगी।

1. प्लान्ट मशीनरी व अन्य परिसम्पत्तियों की खरीद हेतु ऋण का वितरण करते समय भुगतान सीधे आपूर्तिकर्त्ता को कोटेशन के आधार पर नियमों का पालन करते हुए किया जायगा तथा प्लान्ट मशीनरी आ जाने पर उसे हाइपोथिकेट किया जायेगा तथा ऋणी से मूल बिल प्राप्त किया जायेगा।
2. निर्माण कार्य पूरा करने के लिये ऋण का वितरण, कार्य की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न चरणों में किया जाना चाहिये जैसा बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों में उल्लेख है।
3. वाहन खरीदने हेतु दिये जाने वाले ऋण के मामले में, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में, बैंक का नाम बतौर दृष्टिबन्धककर्ता के रूप में पंजीकृत कराया जाना चाहिये तथा प्रमाण पत्र की प्रति रिकॉर्ड में प्रलेखों के साथ रखी जायेगी। वाहन का कम्प्रिहेंसिव बीमा कराया जायेगो जिसका समय समय पर नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
4. स्टॉक/बुक डैट के सापेक्ष दिये जाने वाले कैश क्रेडिट ऋणों का संवितरण ड्राईंग पावर जिसकी संगणना पिछले स्टॉक स्टेटमेन्ट के आधार पर की गयी हो, के अनुसार निर्धारित ऋण सीमा के अंतर्गत किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ऋण राशि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु ही किया जा रहा है।
5. कार्यशील पूँजी हेतु स्वीकृत ऋण सीमा स्वीकृति तिथि से एक वर्ष के लिये वैध रहेगी। ऋण सीमा में वृद्धि/नवीनीकरण के लिये आवेदन वांछित दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्तुत कर लिया जाना चाहिये।
6. प्रदत्त ऋण राशि के वास्तविक सदुपयोग को सुनिश्चित करने हेतु शाखा/अनुभाग द्वारा निरन्तर सावधानी बरती जानी चाहिये तथा शाखा प्रबन्धकों/मुख्य प्रबन्धकों/अनुभागों द्वारा ऋण के सम्बन्ध में निर्गत परिपत्रों का पूर्णतया पालन किया जाना चाहिए।

13 एस. दृष्टिबन्धन अथवा प्लैज के अंतर्गत स्टॉकः–

1. बैंक के पक्ष में दृष्टिबन्धक अथवा प्लैज किये गये स्टॉक के भण्डारण स्थान के अन्दर एवं बाहर दोनों ओर बैंक के नाम की पट्टिका, शाखा का नाम भी प्रदर्शित करते हुये, लगायी जानी चाहिये। (शुगर ऋण के मामलों में)
2. ऋणी द्वारा मासिक स्टॉक का स्टेटमेन्ट प्रतिमाह प्राप्त किया जायेगा या परिपत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप होगा।
3. स्टॉक/बुकडेट के सापेक्ष ड्राईंग पावर की गणना करते समय मासिक स्टॉक स्टेटमेन्ट की राशि में से सन्ड्री क्रेडिटर्स को घटा लेना चाहिए तथा ड्राईंग पावर की गणना स्टाक + सण्ड्री डेटर्स – सण्ड्री क्रेडिटर्स के अन्तर्गत की जायेगी। सामान्यतः सण्ड्री डेटर्स 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तत्पश्चात् मार्जिन को भी घटाया जायेगा।

13 टी. बीमाः–

1. बैंक को प्रभारित सभी प्रकार की प्राथमिक एवं सम्पाश्र्विक परिसम्पत्तियों का फायर, बर्गलरी, प्राकृतिक आपदा का बीमा अवश्य कराया जायेगा। बीमा के नवीनीकरण के लिये तय तिथि की डायरी बनायी जायेगी तथा नियत समय पर बीमा के नवीनीकरण के लिये समुचित कदम उठाये जायें। एक बीमा रजिस्टर प्रत्येक शाखा में बनाया जाना चाहिये जिसमें मासिक रूप से नवीनीकरण की नियत तिथि दर्ज होनी चाहिये ताकि किसी विशेष माह में नवीनीकरण की स्थिति सुलभता से पता रहे।
2. बैंक को प्रतिभूति के तौर पर प्रभारित किसी भी सम्पत्ति को नुकसान होने की स्थिति में संबंधित बीमा कम्पनी के समक्ष दावा अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
3. सभी स्टाक, प्लान्ट मशीनरी, गुड्स आदि का बीमा ऋणी द्वारा कराया जायेगा यदि ऋणी बीमा नहीं कराता है तो बैंक उसके खाते को डेबिट कर बीमा का प्रीमियम अदा करते हुए उपरोक्त का बीमा करायेगा। अग्रेतर परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने का दायित्व ऋणी का होगा (बैंक का नहीं)। यदि बीमा कम्पनी द्वारा कोई दावा अस्वीकृत किया जाता है या स्वीकार्य नहीं किया जाता है तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. ऋणी द्वारा सहमति देने पर कि प्रथम वर्ष की बीमा बैंक काट ले जिससे बाद के वर्षों में बीमा कराने का दायित्व बैंक का नहीं होगा। यह दायित्वा हमेशा ऋणी का ही होगा।
5. उधारकर्ता किसी भी चूक या कमीशन के कारण बैंक को हुए नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

13 यू. वित्तीय अनुशासनः–

वित्तीय अनुशासन के प्रयोजन से ऋणी पर निम्नवत् कार्य सम्पादित करने के लिये जोर डाला जाना चाहियेः

1. नकद, चैक अथवा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम या बैंक में प्रचलित व्यवस्थानुरूप ऋण की किस्तों का भुगतान ग्राहक द्वारा किया जायेगा।

2. ऋणी को ऑडिटेड/अनऑडिटेड वित्तीय विवरण त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक यथा–वांछित आधार पर या बैंक द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार प्रस्तुत करने होंगे।

13 वी. दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों का टेक ओवरः–

गृह ऋण टेक ओवर दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिया जा सकेगा। इस हेतु नियम एवं शर्तें बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र के अनुसार होंगीं।

13 डब्लू.– ऋण राशि के अंतिम उपयोग की जॉचः–

1. गृह निर्माण ऋण में किस्तों को अवमुक्त करते समय गृह निर्माण परिपत्र में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करते हुए निर्माणाधीन स्थल/निर्माणाधीन भवन का समय समय पर दौरा करेंगे। दौरे की रिपोर्ट सुरक्षित रखेंगे ताकि वरिष्ठ अधिकारियों/नाबार्ड अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यह अवलोकनार्थ उपलब्ध रहे।
2. शाखा प्रभारी बैंक को प्रभारित आस्तियों जैसे स्टॉक आदि का समय समय पर निरीक्षण करेंगे। (जैसा कि योजना के परिपत्रों में उल्लेख किया गया है)
3. ऋण राशि के सदुपयोग की जाँच के लिये समय समय पर ऋणी के खातों/बहियों की भी जाँच की जायेगी।

13 एक्स.– स्टॉक स्टेटमेन्ट की प्राप्ति एवं जाँच पड़तालः–

1. शाखायें यह सुनिश्चित करेंगी कि ऋणी द्वारा मासिक रूप से अथवा पूर्व निर्धारित अन्तराल पर स्टॉक स्टेटमेन्ट ऋणी से प्राप्त कर लिया गया है।
2. स्टॉक की मात्रा एवं मूल्य को प्रत्येक माह/अन्तराल पर आरंभिक स्टॉक, प्राप्तियाँ, निकासी एवं समापन स्टॉक के आधार पर दर्शाया जाना चाहिये।

13 वाई.– स्टॉक का निरीक्षणः–

1. शाखाओं द्वारा स्टॉक का मासिक रूप से औचक निरीक्षण किया जा सकता है। प्रत्येक निरीक्षण के दौरान फैक्टरी, गोडाउन तथा कार्यालय में रखे गये समस्त स्टॉक की जाँच की जायेगी।
2. स्टॉक की मात्रा का मिलान ऋणी द्वारा प्रस्तुत स्टॉक स्टेटमेन्ट से किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऋणी स्टॉक के मूल्य की गणना का आधार वही ले रहा है जो उसके ऑडिटेड तुलन पत्र में दिया गया है।
3. स्टॉक के मूल्य के अनुरूप स्टॉक का पर्याप्त रूप से बीमा कराया जायेगा, जैसा कि परिपत्रों में उल्लेख है।

13 जेड.– स्टॉक ऑडिटः–

1. स्टाक आडिट बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया जा सकेगा।
2. कन्सोर्टियम ऋण खाते के मामले में, जहाँ भी बैंक लीडर हों, स्टॉक ऑडिट बैंक द्वारा कराया जायेगा ।

3. स्टॉक ऑडिट में अन्य विवरणों के अतिरिक्त स्टॉक के प्रत्येक मद का भौतिक सत्यापन, स्टॉक का ऋणी की बहियों एवं ऋणी द्वारा प्रस्तुत स्टॉक स्टेटमेन्ट्स से मिलान, ड्राईंग पावर की गणना तथा बीमा का विवरण अवश्य सम्मिलित किया जायेगा।

4. स्टॉक ऑडिट में बैंक मियादी ऋण से खरीदी गयी प्लान्ट मशीनरी की उत्पादन क्षमता, जीवन काल एवं कार्य अवस्था जैसे विवरणों को भी सम्मिलित किया जाना जायेगा।

13 एए.— प्रतिभूतियों का सत्यापन एवं इकाई का आवधिक निरीक्षणः—

1. इकाई का निरीक्षण मासिक आधार पर अथवा स्वीकृति पत्र में निर्धारित समयावधि पर या बैंक द्वारा परिपत्र के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। निरीक्षण का उद्देश्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना नहीं होगा कि बैंक के पक्ष में पर्याप्त प्रतिभूति ऋण की सुरक्षा के लिये उपलब्ध है बल्कि ऋणी के व्यवसाय की वर्तमान स्थिति, ऋणी की नीयत एवं विपरीत परिस्थितियाँ जिनका सामना ऋणी द्वारा किया जा रहा है, आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानना होगा ताकि ऋण की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब की जा सकें।
   2. उपलब्ध अभिलेखों से निरीक्षण अधिकारी यह भी जाँचेंगे कि नकद बिक्री की राशि बैंक खाते में जमा की जा रही है अथवा नहीं।
   3. मियादी ऋणों के मामले में बंधक मशीनों एवं अन्य अचल सम्पत्तियों का आवधिक सत्यापन करना भी आवश्यक है।

13 एबी.— खातों में लेन देन की निगरानी एवं समय पर ब्याज व किश्तों की वसूलीः—

निम्न बिन्दुओं के सत्यापन के लिये ऋण खातों के लेनदेन की निगरानी आवश्यक है :—

1. सी0सी0/ओ0डी0 खातों में नियमित व विशुद्ध व्यवसाय संबंधी लेनदेन किये जायेंगे।
2. शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगें कि बड़ी राशि के नकद लेन देनों का उसी व्यवसाय हेतु उपयोग हो रहा है जिस हेतु ऋण सीमा प्रदान की गयी है।
3. बड़ी राशि के नकद आहरण शाखा प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक द्वारा प्रयोजन के सत्यापन के बाद ही अनुमन्य किये जायेगें।
4. मासिक अंतराल पर सी0सी0/ओ0डी0 खातों में प्रभारित ब्याज की तुरन्त वसूली की जायेगी।
5. मियादी ऋण/टर्म लोन की किश्तों को जमा/वेतन खातों में नामे डालने हेतु स्थाई अनुदेश/ईसीएस मेनडेट प्राप्त किये जायेंगे तथा समय पर इनका प्रयोग जायेगा। जहाँ उत्तर दिनांकित चैक लिये गये हैं, उन्हें नियत तिथि पर किश्तों की वसूली हेतु प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये।

6. एक किश्त की भी चूक होने की स्थिति में अनुस्मारक नोटिस बैंक द्वारा निर्गत परिपत्रों के माध्यम से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तत्काल ऋणी को प्रेषित किया जायेगा।
7. ऋण खाते एसएमए–0, एसएमए–1 एवं एसएमए–2 में वर्गीकृत होने पर प्रभावी कार्यवाही वसूली हेतु की जायेगी। यदि ऋणों की वसूली हेतु विधिक राय की आवश्यकता है तो उसे भी प्राप्त किया जायेगा।

14– ऋण वसूलीः–

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित IRAC नार्मस के संदर्भ में ऋणों पर लगे ब्याज व किश्तों की वसूली न होना बैंक की लाभप्रदत्ता पर दोहरा प्रभाव डालती है। एक तरफ जहाँ यह बैंक की ब्याज की आय को घटाता है वहीं दूसरी ओर प्रोविजनिंग की आवश्यकता को बढ़ाता है। वसूली का बेहतर कार्य निष्पादन एवं एन0पी0ए0 का अच्छा प्रबन्धन बैंक की छवि को निखारता है। ऋणों की तुरन्त एवं समयबद्व वसूली के लिये पर्याप्त व प्रभावशाली देखरेख व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसके कुछ दृष्टान्तदर्शक उपाय निम्नवत हैंः

1. ऋण खातों की प्रभावशाली निगरानी
2. ऋण सीमा की समय पर समीक्षा/नवीनीकरण
3. खातों का सही वर्गीकरण तथा प्रत्यक्ष निगरानी
4. तनावग्रस्त, खातों में वसूली सुनिश्चित करना ताकि ऐसे खाते एन0पी0ए0 श्रेणी में वर्गीकृत न हो सके।
5. ऋणी से समय पर स्टॉक स्टेटमेन्ट प्राप्त करना तथा ड्राईंग पावर की समीक्षा करना।
6. ऋणी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना एवं उनका समुचित विष्लेषण करना।

बैंक ऋण खातों में वसूली एवं एन0पी0ए0 घटाने हेतु निम्नानुसार प्रभावशाली उपाय करेगाः

1. ऋण खाते में सामान्य रूप से वसूली हेतु ऋणी से लगातार सम्पर्क व अनुवर्ती कार्यवाही करना।
2. चूक कर्त्ता ऋणियों के विरूद्ध समय पर न्यायालय में वाद दायर करना या अन्य कानूनी कार्यवाही करना।
3. जहाँ संभव हो आर्बिट्रेशन दायर करना चूँकि आर्बिटरेशन के माध्यम से कानूनी कार्यवाही की अपेक्षा कम समय में फैसला हो सकता है।
4. जहाँ कहीं लागू हो, सरफेसी एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करना।
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–DOR.STC.REC.20/ 21.04.048/2023-24, दिनांक–08.06.2023 के क्रम में बैंक के परिपत्र सं0–बैंकिंग/एफ–283/ 2023–24/580, दिनांक–22.02.2024 एवं संशोधित परिपत्र सं0–बैंकिंग/एफ–283/2024–54/172, दिनांक–10.07.2024 के अनुसार कॉम्प्रोमाईस एवं सेटेलमेण्ट करना।
6. वसूली हेतु अन्य कार्यवाही तथा लोक अदालत आदि।

15. कन्सोर्टियम में नये सदस्य का प्रवेशः–

1 यदि कोई सदस्य बैंक अपने बढ़े हुये ऋण हिस्से को वहन करने में असमर्थ हो तो ऐसे बढ़े हुये हिस्से को दूसरे/इच्छुक मदस्य बैंकों के बीच बांटा जा सकेगा।

2 यदि अन्य सदस्य बैंक भी इस बढ़े हुये हिस्से को वहन करने में असमर्थ हैं तो सभी सदस्य बैंकों एवं ऋणी की सहमति से किसी नये बैंक को कन्सोर्टियन में शामिल किया जा सकता है।

16. शिथिलता/रियायत/विचलनः–

आर0बी0आई0/नाबार्ड/आर0सी0एस0 या अन्य रेग्यूलेटरी संस्थाओं द्वारा समय–समय पर जारी दिशा– निर्देशों के अतंर्गत अनिवार्यता होने पर अथवा बैंक के बोर्ड द्वारा लिये गये किसी नये निर्णय के अनुपालन में इस नीति के प्राविधानों में आवश्यक बदलाव किये जायेंगे।

17. अस्तता अनुच्छेदः–

यह नीति तब तक जारी रहेगी जब तक इसमें आंशिक अथवा पूर्ण बदलाव न लाया जाये अथवा इसका पुनरावलोकन न किया जाये। नीति का समय–समय पर पुर्नवलोकन किया जायेगा।

बैंक स्तर से वितरित ऋणों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक संशोधन सम्बन्धित अनुभागों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/आर0सी0एस0 द्वारा समय–समय पर जारी गाईड लाईन्स को दृष्टिगत रखते हुए बैंक की प्रबन्ध समिति में प्रस्ताव पारित करवाने के पश्चात्, कराया जा सकेगा तथा लेण्डिंग पालिसी में संशोधन हेतु सूचना बैंकिंग अनुभाग को देनी होगी।

उक्त लेण्डिंग पालिसी में बैंक की आवश्यकतानुसार रिव्यू/संशोधन करने का अधिकार बैंक को होगा एवं समय–समय पर बैंक के सम्बन्धित अनुभाग पालिसी में संशोधन लिखित रूप से बैंकिंग अनुभाग को उपलब्ध कराते हुए, करा सकेंगे। नाबार्ड द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में कैश क्रेडिट लोन के सम्बन्ध में अलग से स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज़र (SOP) जारी किये जायेंगे।